

✓ अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृष्णा सिंह	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	—	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय, विगत वर्ष में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून के ज्ञाप संख्या 474/05 व्यख-स्थानान्तरण/24 दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रार्थी का क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून में किए गए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 993/2025 दायर की गई थी। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा मेरे उक्त रिट पर स्थगन आदेश (Stay order) पारित किये गये हैं, किन्तु आतिथि तक विचाराधीन रिट पर निर्णय/सुनवाई नहीं हुई है, प्रार्थी का स्थगन आदेश (Stay order) यथावत बना हुआ है। जिसके क्रम में प्रार्थी आतिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में कार्यरत है। दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-4 पर अंकित है। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में निर्णय/सुनवाई तक प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (एक)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (दो)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (तीन)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (चार)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (पांच)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (छः)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (सात)							

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- कृष्णा सिंह

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	महेन्द्र सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा/ रानीखेत		धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रस्तर-17(2)(घ) के प्राविधान के अनुसार संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने का प्राविधान है। मैं वर्तमान में अपने संगठन प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग संघ में मण्डलीय महामंत्री (कुँमाऊ क्षेत्र) के पद पर आसीन हूँ, जिसके क्रम में मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय। संलग्न- संघ का पत्रांक-24/मि0ए0 प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग, दिनांक 25.04. 2025।
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (एक)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (दो)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (तीन)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (चार)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (पांच)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (छः)							
<input type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (सात)							
	<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(2) (घ)						

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम- महेन्द्र सिंह बिष्ट
पदनाम- वरिष्ठ सहायक


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम- डी0एस0 हयांकी,
पदनाम- मुख्य अभियन्ता

OK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	आनन्द सिंह	वरिष्ठ सहपाठ	मुख्य अधिकारी, सी.आ. ली. वि. वि. इलाहाबाद, उत्तराखण्ड	बेरीनाग जलपट्ट - पिपौरा के	द्वारा पान है	<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण दिनांक प्रमाण पत्र हेतु है। छावी डार दिनांक प्रमाण पत्र हेतु है। दिनांक प्रमाण पत्र हेतु है। दिनांक प्रमाण पत्र हेतु है। दिनांक

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम- आनन्द सिंह
 पदनाम- वरिष्ठ सहपाठ

17.5.2016
 मुख्य आयुक्त
 हस्ताक्षर (कार्यालय अधीक्षक)
 नाम- सुनेश सिंह
 पदनाम- मुख्य अधिकारी, सी.आ. ली. वि. वि. इलाहाबाद, उत्तराखण्ड

OR

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
①	42270313 M00451	दीपक सिंह नेगी वरिष्ठ सहायक	मुख्य अभियन्ता द्वितीय कार्यालय लोनी न.व. पोस्ट		मिथिला प्राचीन विभागाध्यक्ष रेलवे विभाग मुम्बई मुख्य (अभियन्ता) अंतर्गत उन्नाव (वर्ग लोनी न.व. संघालय में गण्डलाय अध्यक्ष पद पर है (अभियन्ता) नी द्वारा 1 न ले (उपभोग्यम व (घ) एवं (5) ले (अन्तर्गत स्थानान्तरण 0026 में हुए हेतु निवेदन. (गण्डलाय (अध्यक्ष) गण्डाल गण्डल

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- दीपक सिंह नेगी
पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- मुख् अभियन्ता स्तर-1
पदनाम- तक निर्माण विभाग, पोली

ल एसोसिएशन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता सवंग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

फोन नम्बर - 0115 2530431

दिनांक 12 मार्च 2009 को दिनांक 17 अप्रैल 2009 द्वारा मान्यता प्राप्त

का. सं. 1

केंद्र वि. संख्या
2009/47447

दिनांक 23/04/2025

क्रमांक 24 मि.सं. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता सवंग

सं. सं. 1

प्र. सं. 1

सं. सं. 1

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून।

सं. सं. 1

सं. सं. 1

विषय -

प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल सवंग लो०नि०वि० के मण्डलीय अध्यक्ष गढ़वाल एवं मण्डलीय महामंत्री पद के सम्बन्ध में।

सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.04.2025 को प्रान्तीय कार्यकारणी के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक की गयी जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मती से प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल सवंग लो०नि०वि० के मण्डलीय अध्यक्ष गढ़वाल एवं मण्डलीय महामंत्री कुमाऊ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। गठन के पदाधिकारियों का विवरण निम्नवत है।

सं. सं. 1

सं. सं. 1


सं. सं. 1

क्र०सं०	गठन के पदाधिकारियों का नाम	पद नाम
1	श्री दीपक नेगी	मण्डलीय अध्यक्ष(गढ़वाल क्षेत्र)
2	श्री महेंद्र सिंह बिष्ट	मण्डलीय महामंत्री(कुमाऊ क्षेत्र)


सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1



(केंद्र वि.)
प्रान्तीय महामंत्री



(सं. सं. 1)
प्रान्तीय अध्यक्ष

सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ प्रेषित।

- 1-मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोडा/हल्द्वानी।
- 2-श्री शंकर सिंह फर्नांडिस(अध्यक्ष)मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।
- 3-श्री दीपक नेगी(अध्यक्ष) मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी।
- 4-श्री अतुल नौडियाल, महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी।
- 5-श्री महेंद्र सिंह बिष्ट महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।

सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1

सं. सं. 1

Signature

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनीष कुमार जोशी	वरिष्ठ स्टाफ़रक	विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०बि० देवराष्ट्र	रामनगर / नैनीताल	① मुख्य अभियंता लो०नि०बि० अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राचीन सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में जाने का इच्छा है।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) *Signature* 14/05/26

नाम- मनीष कुमार जोशी

पदनाम- वरिष्ठ स्टाफ़रक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) *Signature* 14/5/26

नाम- सुनील कुमार

पदनाम- अधिशासी अभियंता